

# छत्तीसगढ़ विधान सभा अधिसूचना

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 (पौष 3, 1930)

क्रमांक- 10925/वि.स./विधान/2008-राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, ई.एस.एल.नरसिम्हन, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 05 जनवरी, 2009 को मध्याह्न 12.00 बजे विधान सभा भवन, रायपुर में समवेत् होने के लिये आमंत्रित करता हूँ।

स्थान: रायपुर.  
दिनांक : 23 दिसम्बर, 2008

ई.एस.एल. नरसिम्हन  
राज्यपाल, छत्तीसगढ़”

हस्ता /-  
(देवेन्द्र वर्मा)  
सचिव,


छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर-492005 दिनांक 24 दिसम्बर, 2008

क्रमांक- 10926/वि.स./विधान/2008

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा.
2. समस्त माननीय सांसद, छत्तीसगढ़.
3. छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव, रायपुर.
4. महामहिम राज्यपाल के सचिव, रायपुर.
5. माननीय अध्यक्ष के सचिव को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ.
6. समस्त मंत्रियों/संसदीय सचिवों के निज सचिव.
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर.
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़.
9. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर.
10. समस्त संभाग आयुक्त / समस्त जिलाधीश, छत्तीसगढ़.
11. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़.
12. छत्तीसगढ़ शासन सचिवालय के समस्त विभाग, रायपुर.
13. कार्यपालन अभियंता, (भवन तथा सड़क) एवं (विद्युत यांत्रिकी) लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग, रायपुर.
14. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, रायपुर.
15. केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन, रायपुर.
16. आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर.
17. महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली.
18. महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली.
19. भारत के समस्त विधान मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव.
20. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.
21. सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली.
22. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90, संसद भवन, नई दिल्ली.
23. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
24. स्थायी सचिव, भारतीय जनता पार्टी/भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी/बहुजन समाज पार्टी, रायपुर.
25. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की समस्त शाखायें.



(देवेन्द्र वर्मा)  
सचिव,  
छत्तीसगढ़ विधान सभा.